कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा/प्रारं/आरटीई/19709/बजट घोषणा/2022–23 दिनांकः– 17/10/2022

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, (मुख्यालय) ई–मेल
समस्त.......................।

विषयः– इन्दिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्री की वर्ष 2022–23 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 316.0.02 की क्रियान्विति के क्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कक्षा–08 में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को कक्षा–09 से 12 तक अध्ययन जारी रखने पर फीस के पुनर्भरण हेतु पोर्टल पर व्यवस्था की गई है। वर्तमान में शैक्षिक सत्र 2021–22 में कक्षा–08 उतीर्ण करने वाली बालिकाएं जो उसी निजी विद्यालय जिसमें बालिका आरटीई के तहत निःशुल्क अध्ययनरत थी अथवा राज्य स्थित अन्य गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत है, को फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। समस्त पुनर्भरण दो किस्तों में किया जायेगा। शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ से लगातार 04 माह अध्ययनरत रहने पर प्रथम किस्त तथा सत्रपर्यन्त अध्ययनरत रहने पर द्वितीय किस्त का भुगतान किया जायेगा।

पुनर्भरण प्राप्त करने हेतु पात्र बालिका द्वारा rajpsp.nic.in पर उपलबध पंजीकरण टेब पर जाकर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के पश्चात बालिकाओं को LOGIN ID एवं PASSWORD प्राप्त होगे। इस एकाउंट द्वारा बालिका पुनर्भरण हेतु आवेदन कर सकेगी। पंजीकृत बालिकाएं जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित होगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक द्वारा बालिका के दस्तावेजों का सत्यापन कर बालिका के जनआधार से लिंक खाते में भुगतान किया जायेगा। आतः आपको आदेशित किया जाता है कि अपने परिक्षेत्र की समस्त पात्र बालिकाओं को भुगतान हेतु निम्न टाईमफ्रेम के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

इन्दिरा शक्ति फीस पुर्नभरण योजना आवेदन हेतु टाईम फ्रेम

क्र.सं.	विवरण/गतिविधि	दिनांक
01.	बालिकाओं द्वारा पंजीकरण	31.12.2022 तक
02.	बालिकाओं द्वारा आवेदन	01.11.2022 से 31.12.2022 तक
03.	जिशिअ द्वारा सत्यापन	01.11.2022 से 15.01.2023 तक
04.	जिशिअ, माध्यमिक द्वारा भुगतान	15.11.2022 से 28.02.2023 तक

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर